

लोक प्राधिकार की बाध्यताएं
प्रशाखा-4, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

(1)	संस्थाओं के कार्य, कर्तव्य एवं 3	प्रशाखा-4 से संबंधित
(2)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति तथा कर्तव्य।	कृषि विभाग, बिहार में शक्ति कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार में निहित है, पदाधिकारी तथा कर्मचारी, कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार के प्रति उत्तरदायी है।
(3)	संस्थान में निर्णय करने संबंधी अधीक्षण और उत्तरदायित्व संबंधी प्रक्रिया।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।
(4)	कार्य करने के लिए सीपित मा	प्रशाखा-3 से संबंधित नहीं है।
(5)	अपने कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों अभिलेखों एवं संहिताओं का विवरण।	प्रशाखा-1, 6 एवं 3 से संबंधित नहीं है।
(6)	विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सूची तैयार करना।	प्रशाखा-1, 6 एवं 3 से संबंधित नहीं है।
(7)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह / मशविरा लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।
(8)	न्यास परिषद, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख। ये बैठकें सर्वसाधारण के लिए खुली है या नहीं, इनका कार्य विवरण जनता की उपलब्ध है या नहीं, उनका पूर्ण विवरण।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।

(9)	अपने पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों	<ol style="list-style-type: none"> 1.श्री अशोक कुमार सिन्हा, कृषि विभाग,बिहार, पटना। 2.श्री सी० के० अनिल, 3.श्री राजेश कुमार, संयुक्त सचिव, कृ० वि० बिहार, पटना। 4.श्री मदन मोहन शास्त्री, अवर सचिव,कृ० वि० बिहार, पटना। 5.श्री जय प्रकाश ठाकुर, प्र० पदा०कृ० वि० बिहार, पटना। 6.मो० मुर्तजा, सहायक 7.श्री अरविन्द कुमार सिंह,सहायक 8.श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक। 9.श्री दीप नारायण शर्मा,सहायक (संविदा पर) 10.श्री सुशील कुमार दास, सहायक 11.श्री शिव किशोर सिंह, सां० सहायक 12.श्री अकबर अली अंसारी,प्रा०४ का डायरी कार्य। 13.श्री भुनेश्वर प्र० सिंह, पद्चर। 14.श्री नागेन्द्र राउत, अनु० उद्यान पदा० 15.श्री चन्द्रिका साव,अनु० उद्यान पदा०
(10)	अपने पदाधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के मासिक वेतन तथा मुआवजा की कोई व्यवस्था, यदि नियम में हो तो उसका ब्यौरा।	सचिवालय के सभी प्रशाखा एवं कोषांग से प्रत्येक माह में दिनांक 21 से 23 तक अनुपस्थिति विवरणी प्रपत्र में प्राप्त कर प्रशाखा 4 द्वारा प्रत्येक माह में दिनांक 25 को उप कृषि निदेशक (फसल) सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात वेतन भुगतान होता है।
(11)	अपने विभिन्न एजेन्सियों के लिए निर्धारित बजट, योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित खर्च और भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा।	प्रशाखा-3 से संबंधित है।
(12)	अनुदान कार्य(मों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभान्वितों की सूची।	मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान दिया जाता है।
(13)	विभाग द्वारा दिए गए रियात, परमिट या अधिकार पत्र पानेवालों का विवरण।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।

(14)	उक्त सभी सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना।	प्रशाखा-4 से संबंधित सूचनाएं संलग्न है।
(15)	जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं , इंटरनेट, पुस्तकालय या अन्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।
(16)	विभाग के जन सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव, कृषि विभाग, रूम नं0-207, द्वितीय तल्ला , विकास भवन, पटना।
(17)	सरकार द्वारा प्रावधानित कोई अन्य सूचना या विवरण। इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना।	प्रशाखा-4 से संबंधित नहीं है।